

न्यायालय, प्रभार जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बक्सर।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या - 320/ 2026

सुबेदार पांडेय और 13 अन्य

बनाम्

बिहार सरकार

बक्सर औद्योगिक थाना कांड संख्या – 39/2026

आदेश

08.04.2026

वाद पुकार पर उभयपक्ष उपस्थित हुए। आवेदकगण सुबेदार पांडेय उम्र 40 वर्ष पिता— स्व० कृष्णा पांडेय 2. धनजी पांडेय उम्र 34 वर्ष पिता— कृष्णा पांडेय 3. गौतम पांडेय उम्र 30 वर्ष पिता— कृष्णा पांडेय 4. गोविंद पांडेय उम्र 31 वर्ष पिता— कृष्णा पांडेय 5. रवि पांडेय उम्र 38 वर्ष पिता— कृष्णा पांडेय 6. सोनू पांडेय उम्र 37 वर्ष पिता— सुबेदार पांडेय 7. महादेव पांडेय उम्र 45 वर्ष पिता— स्व० राम स्वरूप पांडेय 8. नीरज पांडेय उम्र 26 वर्ष पिता— महादेव पांडेय 9. धीरज पांडेय उम्र 29 वर्ष पिता— महादेव पांडेय 10. डुली पांडेय उम्र 39 वर्ष पिता— स्व० खुशीलाल पांडेय 11. मन जी पांडेय उम्र 36 वर्ष पिता— स्व० खुशीलाल पांडेय 12. मीरा देवी उम्र 38 वर्ष पति — डुली पांडेय 13. मोनी कुमारी उम्र 24 वर्ष पिता— सुबेदार पांडेय 14. देवती देवी उम्र 38 वर्ष पति — सुबेदार पांडेय सभी साकिन साहोपारा, थाना— बक्सर औद्योगिक, जिला बक्सर की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया है कि अग्रिम जमानत आवेदन की सुनवाई हेतु विद्वान लोक अभियोजक को दिनांक 17.03.2026 तथा 30.03.2026 को वाद दैनिकी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था किंतु आज दिनांक 08.04.2026 तक वाद दैनिकी प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण अग्रिम जमानत की सुनवाई लंबित है। आवेदकगण के गिरफ्तार होने की संभावना है। अतः अभियुक्तगण को No-Coercive Step का लाभ अगले आदेश तक देने की कृपा की जाए।

उभयपक्षों को सुना। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उपरोक्त आवेदकगण के विरुद्ध दिनांक 18.04.2026 तक No-Coercive Step का आदेश दिया जाता है।

(लेखापित व शुद्धिकृत)

Sd/-

प्रभारी जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय, बक्सर।
दिनांक—08.04.2026